न्यायाधीश श्री एम जयपॉल के समक्ष

देवी चंद और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जगाधरी प्रोविंशियल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर ब्रांच, यमुनानगर और

अन्य -उत्तरदाता
C.W.P 7001-11 सन् 1990 का
11 नवंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भवन और सड़क नियमावली। 3.23 -कार्यकारी अभियंता द्वारा कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को 2 अग्रिम वेतनवृद्धि का अनुदान-मुख्य अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने वाले कार्यकारी अभियंता-मंजूरी के लगभग 8 वर्षों के बाद वेतनवृद्धि की वापसी- आरआई के अनुसार। 3.23 कार्यकारी अभियंता कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम है, लेकिन पुष्टि की शक्ति मुख्य अभियंता के पास निहित है-याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलत प्रतिनिधित्व, धोखाधड़ी या धोखा नहीं-वेतनवृद्धि वापस लेने के आदेश और वसूली कार्यवाही रद्द कर दी गई।

माना गया कि सक्षम प्राधिकारी ने दो अग्रिम वेतनवृद्धि को मंजूरी दी है। यह माना जाता है कि इस तरह के प्राधिकरण ने अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करते समय कर्मचारी की उत्कृष्ट योग्यता का आकलन करने के बाद ही कार्रवाई की थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम वेतनवृद्धि की मंजूरी की तारीख से लगभग आठ वर्ष बीत जाने के बाद, कर्मचारी को पहले से दिए गए लाभ को वापस लेने के लिए ऐसा कारण नहीं दिया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं को उपार्जित लाभ की वापसी के लिए प्रथम प्रत्यर्थी का रुख स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार में कोई भी कर्मचारी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि किसी कर्मचारी को पहले से दिए गए लाभ वापस ले लिए जाएंगे।ऐसे लाभ प्रदान करने वाले अधिकारियों के स्थान पर आने वाले अधिकारियों द्वारा विचित्रता से।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक कर्मचारी जिसे अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई थी, उसे सीधे मुख्य अभियंता को संबोधित करके उसे अग्रिम वेतनवृद्धि के अनुदान के बारे में सूचित करने की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। भवन और सड़क नियमावली के नियम 3.23 के अनुसार इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा पुष्टि प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् कार्यकारी अभियंता पर एक कर्तव्य डाला गया है। कम से कम कहने के लिए, प्रथम प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को दी गई दो अग्रिम वृद्धि की पुष्टि करने में विफल रहा। मुख्य अभियंता से पुष्टि प्राप्त न करने में प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से निष्क्रियता के लिए याचिकाकर्ताओं को नुकसान नहीं होगा। अन्यथा भी प्रथम प्रत्यर्थी के पास याचिकाकर्ताओं को लगभग आठ वर्षों के अंतराल के बाद पहले से ही उन्हें भुगतान की गई अग्रिम वृद्धि को चुकाने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, जब याचिकाकर्ताओं के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी।

(Para 12 & 13)

अश्वनी बख्शी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हैं।

सुखविंदर सिंह नारा, सीनियर डीएजी, मरियाना, उत्तरदाताओं के लिए-राज्य।

(Para 10)

आदेश

न्यायाधीश एम. जयपाल

(1) प्रथम याचिकाकर्ता देवी चंद को रुपये के वेतनमान में वर्कचार्ज्ड स्टोरकीपर के रूप में नियुक्त किया गया था। 50-3-80/4-88। प्रथम प्रत्यर्थी, कार्यकारी अभियंता दिनांक 1 दिसम्बर, 1972 द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अधीन। दूसरे याचिकाकर्ता लज्जा राम को रुपये के वेतनमान में कार्य प्रभारित निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 60-4-80/5-120, दिनांक 28 जुलाई को पहले प्रतिवादी द्वारा जारी नियुक्ति के आदेश के तहत। 1975 में। प्रथम प्रत्यर्थी ने प्रथम याचिकाकर्ता को रुपये के ग्रेड में दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 110-4-130/5-160-5-225 रुपये से उनका वेतन बढ़ रहा है। 130 से रु. 140 1 मार्च, 1980 से प्रभावी। इसी प्रकार प्रथम प्रत्यर्थी ने द्वितीय याचिकाकर्ता को रुपये के ग्रेड में दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 120-5-150/6-180/8-220/10-

250 रुपये से उनका वेतन बढ़ रहा है। 135 से रु। 1 मार्च, 1980 से प्रभावी। दोनों याचिकाकर्ता पहले प्रतिवादी द्वारा दी गई उन दो अग्रिम वृद्धि सहित अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

(2) मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 1988 की कार्यवाही द्वारा अधीक्षण अभियंता को दो अग्रिम वेतनवृद्धि के भुगतान को तुरंत रोकने और नियमों के अनुसार वेतनवृद्धि को फिर से निर्धारित करने और पहले से ही भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। इसी को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सीडब्ल्यूपी नं. 1988 का 10802 इस आधार पर कि मुख्य अभियंता द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश पारित किए जाने से पहले याचिकाकर्ताओं को कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मुख्य अभियंता द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को नियमों के अनुसार मामले में नए सिरे से जाने और याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

(3) याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद प्रथम प्रतिवादी द्वारा 16 अप्रैल, 1990 को विवादित आदेश पारित किए गए थे।

(4) 16 अप्रैल, 1990 को प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अब इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन हैं।

(5) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वत वकील प्रस्तुत करेगा कि प्रथम प्रतिवादी, जिसने पहले ही याचिकाकर्ताओं के मामले की योग्यता को तौला था और क्रमशः 18 मार्च, 1980 और 19 मार्च, 1980 को दो अग्रिम वेतनवृद्धि दी थी, अब अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले के गुणागुण का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। प्रथम प्रत्यर्थी को, यदि उसके द्वारा स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धि के लिए किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता थी, तो उसे अपनी कार्रवाई की मंजूरी के लिए संबंधित उच्च प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं का प्रत्यर्थियों से अपेक्षित विभागीय कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं है। यह उनकी आगे की प्रस्तुति है कि भवन और सड़क नियमावली के नियम 3.23 के अनुसार, कार्यकारी अभियंता कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के सदस्य को अग्रिम वृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, जो मुख्य अभियंता द्वारा पुष्टि के अधीन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किया गया अंतिम निवेदन यह है कि याचिकाकर्ताओं को पहले से ही स्वीकृत और दी गई अग्रिम वृद्धि को इस दूर के समय पर वसूल नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब पहले प्रतिवादी द्वारा दो अग्रिम वृद्धि को मंजूरी देने के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई गलत प्रतिनिधित्व, धोखाधड़ी या धोखा नहीं किया गया हो।

(6) इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों-राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ उप महाधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि आक्षेपित आदेश केवल भवन और सड़क नियमावली के नियम 3.23 के अनुसार पहले प्रत्यर्थी द्वारा पारित किए गए थे। चूंकि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा मुख्य अभियंता से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वीकृत दो अग्रिम वेतनवृद्धि को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।

(7) तथ्य यह है कि प्रथम याचिकाकर्ता को प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा कार्य प्रभारित स्टोरकीपर के रूप में नियुक्त किया गया था-दिनांक 1 दिसंबर, 1972 की कार्यवाही और दूसरे याचिकाकर्ता को कार्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था-दिनांक 28 जुलाई की कार्यवाही के अनुसार। 1975 में। प्रथम प्रत्यर्थी ने 19 मार्च, 1980 की कार्यवाही के माध्यम से प्रथम याचिकाकर्ता को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह माना जाता है कि पहले प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ताओं के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को दी गई दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की।

(8) यह प्रत्यर्थियों का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी से गलत प्रतिनिधित्व करके, धोखाधड़ी करके या धोखा देकर दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की गई थी। केवल तभी जब सरकारी कर्मचारी को विभाग के साथ धोखाधड़ी करके या गलत प्रतिनिधित्व करके या धोखा देकर इस तरह के लाभ मिलते हैं, तो वह प्राप्त लाभ को बनाए रखने का हकदार नहीं है (बुध राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य देखें।

(9) प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 1980 में याचिकाकर्ताओं को पहले ही दी गई दो अग्रिम वेतनवृद्धि को वापस लेने के लिए दो कारण दिए गए हैं। पहला कारण यह है कि अभिलेख याचिकाकर्ताओं की उत्कृष्ट योग्यता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। दूसरा यह है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

(10) जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। सक्षम प्राधिकारी ने दो अग्रिम वेतनवृद्धि को मंजूरी दी है। यह माना जाता है कि इस तरह के प्राधिकरण ने अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करते समय कर्मचारी की उत्कृष्ट योग्यता का आकलन करने के बाद ही कार्रवाई की थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम वेतनवृद्धि की मंजूरी की तारीख से लगभग आठ वर्ष बीत जाने के बाद, कर्मचारी को पहले से दिए गए लाभ को वापस लेने के लिए ऐसा कारण नहीं दिया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता को उपार्जित लाभ की वापसी के लिए प्रथम प्रत्यर्थी का रुख स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार में कोई भी कर्मचारी सुरक्षित नहीं होगा,

क्योंकि किसी कर्मचारी को पहले से दिए गए लाभों को उन अधिकारियों द्वारा जानबूझकर वापस ले लिया जाएगा, जो ऐसे लाभ देने वाले अधिकारियों के उत्तराधिकारी होंगे।

(11) याचिकाकर्ताओं को पहले ही दिए गए अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ को वापस लेने के लिए सौंपे गए अगले कारण पर आते हुए, यह पाया गया है कि पहला प्रतिवादी कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए भवन और सड़क नियमावली के नियम 3.23 के अनुसार भी सक्षम प्राधिकारी है, लेकिन ऐसी कार्रवाई मुख्य अभियंता की पुष्टि के अधीन है। उपर्युक्त नियम में यह नहीं कहा गया है कि कार्यकारी अभियंता कोई अग्रिम वेतनवृद्धि देने में अक्षम है और न ही यह कहा गया है कि मुख्य अभियंता ही अग्रिम वेतनवृद्धि देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। यद्यपि कार्यकारी अभियंता अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, पुष्टि की शक्ति मुख्य अभियंता के पास निहित की गई है।

(12) एक कर्मचारी, जिसे अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई थी, उसे सीधे मुख्य अभियंता को संबोधित करके उसे अग्रिम वेतनवृद्धि के अनुदान के बारे में सूचित करने की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। भवन और सड़क नियमावली के नियम 3.23 के अनुसार इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा पुष्टि प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् कार्यकारी अभियंता पर एक कर्तव्य डाला गया है। कम से कम कहने के लिए, प्रथम प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को दी गई दो अग्रिम वृद्धि की पुष्टि करने में विफल रहा। मुख्य अभियंता से पुष्टि प्राप्त न करने में प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से निष्क्रियता के लिए याचिकाकर्ताओं को नुकसान नहीं होगा।

(13) अन्यथा भी प्रथम प्रत्यर्थी के पास याचिकाकर्ताओं को लगभग आठ वर्षों के अंतराल के बाद पहले से ही भुगतान की गई अग्रिम वृद्धि का पुनः भुगतान करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, जब याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार आक्षेपित आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है और प्रत्यर्थियों को वर्ष 1980 से याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अग्रिम वेतनवृद्धि की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।

(15) उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका निम्न स्तर पर है।
लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा